न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	RCMS.No. 2020/00008	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
06/2020		23.04.2020	18.05.2020

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़

:– प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री नारायण लाल पिता श्री पुंजिया मेघवाल उचित मुल्य दुकानदार जामली, पीपलखूंट

: – अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत्

उपस्थिति :–
1. पैरोकार सरकार रसद
2. श्री शरद कुमार चिप्पड़ रेस्पोडेन्ट

–: आदेश :–

दिनांक 18.05.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी रसद, प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 A के तहत जप्त शुदा 95.64.650 क्विटल गेहुँ को राजसात करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.04.2020 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा मोबाईल पर दिये गये निर्देशों की पालना में अधाहस्ताक्षरकर्ता तथा श्री मनोज कुमार गरासिया प्रवर्तन निरीक्षण गेहुं संबंधि कालाबाजारी की जांच हेतु पुलिस थाना घण्टाली पहुंचे वक्त निरीक्षण जांच में निम्न तथ्य पाये गये :–

1. यह है कि ड्राईवर तेजपाल तथा ड्राईवर शंभुलाल द्वारा अपने बयान में बतलाया कि गेहुं हमने राशन की दुकान/घर ग्राम वरदा से भरे है।
2. यह कि कैलाश देवी सरपंच , भैरूलाल उप सरपंच के बयानों में बतलाया गया कि उचित मूल्य दुकानदार अवैध बिकी हेतु राशन का गेहुं ले जा रहा था।
3. यह कि शिकायतकर्ताओं के बयानों एवं दोनों ड्राईवरों के बयानों पुलिस द्वारा दी गई तहरीर एवं उचित मुल्य दुकानदार के बयानों के आधार पर फर्द तलपट्टी ट्रैक्टर नं. आ.र.जे. 35 आर.ए. 7260 में शुद्ध गेहुं का वजन 47.25.205 क्विं एवं फर्द तलपट्टी ट्रेक्टर नंबर आर.जे. 27 आर.ए. 9008 में शुद्ध गेहुं का वजन 48.36.445 क्विं दानों में कुल वजन 95.64.650 क्विं पाये गये।

181

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

इस प्रकार उचित मुल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवयश्क पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 की शर्त संख्या 4,11 एवं 17 ग का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इनका उल्लंघन होने पर उक्त गेहुं 95.64.650 विंव मय दो ट्रेक्टर ट्रोलियों सहित कब्जेराज किया गया। गेहुं शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है। अतः राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील अप्रार्थी कि ओर से अधिवक्ता श्री शरद कुमार चिप्पड़ उपस्थित हो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया नकल प्रार्थी पैरोकार सरकार को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण वास्ते बहस अन्तिम हेतु रखा गया।

पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित बहस उभय पक्ष अन्तिम सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि अप्रार्थी उचित मुल्य दुकानदार जामली प्रथम तहसील पीपलखुंट का राशन डीलर है जिसके विरूद्ध सरपंच एवं उप सरपंच जामली द्वारा पुलिस थाना घण्टाली में की गई शिकायत आधार पर पुलिस थाना घण्टाली की तहरीर आधार पर उचित मुल्य दुकानदार द्वारा संचालित उचित मुल्य दुकान जामली प्रथम तहसील पीपलखुंट की जांच की गई जिस अन्तर्गत उचित मुल्य दुकान जामली प्रथम को राज्य सरकार द्वारा आवंटित गेहुँ का स्टोक सही पाया गया किन्तु वक्त कार्यवाही गेहुँ परिवहन कर्ता ट्रेक्टर डाईवर एवं शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयानात अनुसार अप्रार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य की दुकान से उक्त जप्त शुदा गेहुँ का परिवहन करना अभिकथन किया गया है जो उचित मुल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवयश्क पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 की शर्त संख्या 4, 11 एवं 17 ग का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्त शुदा गेहुँ के राजसात करने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत फरमावें।

इसी प्रकृम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी उचित मुल्य दुकानदार के साथ–साथ एक कृषक भी है तथा उसके द्वारा थ्रेशर संचालन का कार्य भी किया जाता है जिसके प्रतिफल स्वरूप आय में प्राप्त गेहुँ को उसके द्वारा जरिये ट्रेक्टर संख्या **RJ 35 RA 7260** एवं **RJ 27 RA 9008** द्वारा परिवहन किया जा रहा था किन्तु उक्त गेहुँ किसी भी राजकीय योजना से संबंधित नहीं होकर उसकी निजी आय की फसल रही है। शिकायतकर्ता द्वारा अप्रार्थी से राजनैतिक द्वेश्ता रखते हुए उसकी उचित मुल्य दुकान की अनुज्ञप्ति निरस्त कराने की नियत से यह कार्य किया गया है। अतः रसद विभाग द्वारा जप्त गेहुँ राजकीय योजनाओं से संबंधित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाते हुए जप्तशुदा गेहुँ को लौटाये जाने तथा पुलिस थाना घण्टाली में खड़े कराये गए ट्रेक्टर को मुक्त करने का आदेश प्रदान करावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2020, रिपोट जांच प्रतिवेदन मेमों दिनांक 12.01.2020, जवाब अप्रार्थी, फर्द मौका जप्ती इत्यादि का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से संदर्भित आरोप विरूद्ध अप्रार्थी सिद्ध योग्य नहीं पाये गए है क्योंकि वक्त निरीक्षण फर्द मौका एवं फर्द जप्ती के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन रिपोर्ट दिनांक 12.04.2020 के पैरा 1 के अन्तिम चरण में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य दुकान जामली प्रथम तहसील पीपलखुंट पर गेहुँ का स्टॉक सही पाया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दौराने बहस किये गये कथनों के संबंध में पैरोकार सरकार द्वारा कोई ठोस जवाब उल जवाब अथवा प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा परिवहनित गेहुँ किसी भी प्रकार से राजकीय योजनाओं से संबंधित नहीं रहा है। जिससे अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सिद्ध योग्य नहीं पाए जाने से सर्वथा निरस्त योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी से जप्त गेहुँ 95.64.650 क्विंटल को अप्रार्थी की निजी कृषि फसल आय मानते हुए मय वाहन संख्या ट्रेक्टर संख्या RJ 35 RA 7260 एवं RJ 27 RA 9008 के साथ मुक्त रिलिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner